राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :–EMR/2013/ 39 दिनांक :– 10/5/13.

–: कार्यालय आदेश :–

राजस्थान के लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2011 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही हेतु आवासन मण्डल के वृत एवं स्वतन्त्र खण्ड कार्यालयों में कार्यरत उप आवासन आयुक्तों एवं आवासीय अभियन्ताओं को पदाभिहित अधिकारी नियुक्त किये गये है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पदाभिहित अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की प्रभावी निगरानी के लिए विकसित MIS Portal का उपयोग किये जाने के लिए समय–समय पर संबन्धित जिला कलक्टर कार्यालयों के द्वारा पदाभिहित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाकर MIS Portal का उपयोग किये जाने के लिए निर्देश दिये गये है। किन्तु यह देखने में आया है कि मण्डल के कतिपय कार्यालयों द्वारा MIS Portal का उपयोग नही किया जा रहा है।

अतः मण्डल के वृत्त एवं स्वतन्त्र खण्ड कार्यालयों के समस्त पदाभिहित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि :–

1. राजस्थान के लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2011 के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा रही है।
2. किसी भी प्रकरण में विलम्ब के लिए अधिनियम के प्रावधानों/नियमों के अनुरूप शास्ती अधिरोपीत होनी चाहिए और सेवा प्रदान में विलम्ब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशानात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।
3. MIS Portal पर शत् प्रतिशत डिलिवरी आरम्भ कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन की निरन्तर मॉनिटरिंग एवं MIS Portal के उपयोग के लिए राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालना मण्डल के श्री सीताराम बारी उप आवासन आयुक्त (नोडल अधिकारी MIS Portal) राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–1) विभाग के पत्रांक प.13(4)प्रसु/सम/अनु–1/2011 जयपुर दि. 19.02.13 (प्रति संलग्न) एवं कार्यालय जिला कलक्टर के पत्रांक RGDPS/2012/13/10042-10110 दि. 28.02.13 (प्रति संलग्न) के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायेंगे। तथा श्री अनुज माथुर एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, उप आवासन आयुक्त श्री बारी को उपरोक्त कार्य एवं MIS Portal पर सूचना उपलब्ध कराने एवं कार्य में पूर्ण सहयोग करेंगें।

इस सम्बन्ध निर्देश है कि समस्त सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त एवं आवासीय अभियन्ता राजस्थान के लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2011 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में कार्यवाही सुनिश्चित कर MIS Portal का उपयोग अविलम्ब प्रारम्भ करें एवं अपेक्षित सूचना संबन्धित जिला कलक्टर के कार्यालयों में भिजवाकर इसकी प्रति सूचनाएं मुख्यालय में उक्त नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें। उक्त आदेशों की अवेहलना करने अथवा कार्य में शिथिलता बरतने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(के.के. शर्मा)
सचिव
रा. आ. म. जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. तकनीकी सहायक–अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त, रा.आ.म., जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/अति. मुख्य अभियन्ता .... रा.आ.म. जयपुर।
3. मुख्य संपदा प्रबन्धक/वित्तिय सलाहकार/निदेशक (विधि), रा.आ.म., जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत्त– .... रा.आ.म. ....।
5. आवासीय अभियन्ता खण्ड–.......................... रा.आ.म. ....।
6. श्री सीताराम बारी उप आवासन आयुक्त (नोडल अधिकारी) रा.आ.म., जयपुर।
7. श्री अनुज माथुर एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (सहायक नोडल अधिकारी) रा.आ.म., जयपुर।
8. कार्यालय प्रति।

(के.के. शर्मा)
सचिव